


पर्य 2 (नियम 11 (4) दोषेण)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (VIDISHA), मध्यप्रदेश

दृश्यांक:

फैक्टरी:

ई-मेल:

नामसंख्या: 312070400000 नाम सी. - 11118
पति:

दिवांक:

प्रबंधक:

(Nirmala Convent Higher Secondary School Sironj, District Vidisha)

विवरण: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।
वहाँ प्रायः प्राहोदया।

आपको आवेदन पत्र दिनांक 17/01/2018 तथा इस संबंध में स्कूल से प्राप्तवर्ती पत्र व्यवहार/ जिगीकाण के संदर्भ में, मैं आपकी
नियम 7 - Nirmala Convent Higher Secondary School Sironj, District Vidisha, New Bus Stand Hajoopur Road Sironj District Vidisha को
स्कूल Nursery से कक्ष 6 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक बनावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

आपके स्वीकृति लिखने विलियम शर्टों की पूर्ति के अध्याधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होती तथा कक्ष 8 से ऊपर की मान्यताप्राप्तता की कोई वाईटरा किसी भी रूप में लिखित नहीं होती।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधी का पालन करता।
- स्कूल, बुप्पे पोलम सीमा के बीच न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दारा में, स्कूल यहि मान्यता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुसार मैं निःशुल्क और अनिवार्य पारमिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वारिक आवर्ती व्यय को पूरा करते होते हुए इस प्रकार वारिक आवर्ती मान्यता या अनुसार प्राप्त होता है जिस न्यूनतम प्रवेशी प्रतिशत के अधीन होगा बावर्ती कि वहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (पि स्कूल) शिक्षा ही जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपाधा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपाधा निःस्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- धारा 3 में विस्तृत बालकों के लिए स्कूल की अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की परिपूर्ति की जाएगी तथा एक परिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् मैं बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सामाजिक स्कूल वाई भी कैपिटेशन किसी ना स्वाह नहीं करता तथा बालक या उसके पालक या अधिगावक को साथ लिये जानावाला परिवार को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल विस्तृत भी बालक को प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा।
 - (क) आगु के बाबत के अवाव में,
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विस्तृत की गई विरतारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा जाया है,
 - (ग) धरो जाति वा मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल शुभित्रित करेगा कि-

किसी स्कूल ने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विस्तृत भी बालक को किसी कक्ष में रोका या जिष्कारित नहीं किया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोडे प्रतिक्रिया उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती।

नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक वे प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्ति विशेष आवश्यकता बाले बालकों को समाहित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की मर्ही की जाएगी; वर्तमान में कर्तव्यत जो शिक्षक इस अधिनियम के पारम्पर होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के

प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में विधीय न्यूनतम अर्हता पास करनी होगी;

शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विस्तृत कर्तव्यों का पालन करना होगा;

पालन विविध की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

Signature valid

Digitaly signed by HARI
NARAYAN MEENA
Date: 2019-02-22
12:19:25 (IST)
Reason: Digitally Signed
Location: MLC

जाएगा।

PRINCIPAL
Nirmala Convent H. S. School
SIRONJ (VIDISHA) M.P.